परिपत्र संख्या– 27 /सामा–1(3)/कुख्यात बंदी /2019

प्रेषक,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक 18 सितम्बर, 2019

विषयः– प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध दुर्दान्त एवं कुख्यात अपराधियों की अनैतिक साजिशों एवं उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में।

प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध दुर्दान्त एवं कुख्यात अपराधियों की अनैतिक साजिशों एवं उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में कृपया पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या–डी0जी0–आठ–246(15)99–2019, दिनांक 16.08.2019(छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कारागारों में विभिन्न प्रकार की जघन्य एवं सनसनीखेज घटनायें कारित करने वाले कुख्यात एवं दुर्दान्त प्रवृत्ति के अपराधियों की गतिविधियों पर रोक लगाये जाने सम्बन्धी विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसमें से कतिपय बिन्दुओं पर कार्यवाही कारागार विभाग से सम्बन्धित है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि निम्न बिन्दुओं पर प्रभावी एवं सशक्त कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें, ताकि ऐसी आपराधिक घटनाओं की पुनरावृत्ति होने पर रोक लगायी जा सकेः–

(1) जनपद में प्रत्येक माह होने वाली अपराध गोष्ठी में जिला कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/ अधीक्षक अवश्य प्रतिभाग करें।

(2) अपराध गोष्ठी में जिला कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक कारागार में निरूद्ध कुख्यात एवं गम्भीर प्रवृत्ति के अपराधियों के आवश्यक विवरण सहित प्रतिभाग करेंगे।

(3) ऐसे अपराधियों को श्रेणीवार चिन्हित कर उनके द्वारा कारागार में प्रचलित अथवा प्रकाश में आयी गतिविधियों पर निरन्तर सतर्क दृष्टि रखने एवं उन पर कडाई से अंकुश इत्यादि लगाये जाने हेतु जनपदीय जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक से गहनता से विचार–विमर्श करने के उपरान्त तद्नुसार अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(4) जिला कारागारों की जनपद स्तर पर निवारण की जा सकने वाली समस्याओं यथाः–पुलिस गार्ड की उपलब्धता एवं पुलिस चौकी की स्थापना के सम्बन्ध में जनपदीय जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक से सामंजस्य स्थापित करते हुए उनका निवारण करना सुनिश्चित करें।

(5) बंदियों की पेशी के उपरान्त उनके द्वारा निषिद्ध वस्तुओं को लाने आदि समस्याओं के सम्बन्ध में जनपदीय जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक से समन्वय स्थापित करते हुए उनका निवारण कराना सुनिश्चित करें।

(6) अपराध गोष्ठी के दौरान जिला कारागारों में सी0सी0टी0वी0 कैमरों को लगाये जाने पर आवश्यकतानुसार उसकी मरम्मत कराये जाने एवं अपराधिरियों की वीडियोकान्फ्रेंसिंग के माध्यम से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराये जाने के सम्बन्ध में अनवरत समीक्षा करते हुए त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(7) अपराध गोष्ठी में विचार विमर्श के दौरान जिला कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक

–/2.....

/अधीक्षक कारागार प्रशासन के न्यायिक प्रकिया में आने वाली विभिन्न प्रकार की तकनीकी समस्याओं को भी साझा करते हुए उसका त्वरित निराकरण कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः—यथोपरि।

16/9/19

(आनन्द कुमार)
पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।

परि0 पृ0सं0— /सामा—1(3)/कुख्यात बंदी/2019 , लखनऊः दिनांक सितम्बर, 2019

उपरोक्त परिपत्र की प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्र संख्या— डी0जी0—आठ—246(15)99—2019, दिनांक 16.08.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

(आनन्द कुमार)
पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।